

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री भंवर सिंह अति. जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरौही द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण तिथि 16.08.2014 से पूर्व ही दो पदोन्नतियों का लाभ अर्जित करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/2016/41 दिनांक 08.06.2017 के द्वारा क्रम संख्या 03 पर श्री भंवर सिंह अति. जिला शिक्षा अधिकारी, को 20 वर्षीय सेवा पर स्वीकृत द्वितीय एसीपी दिनांक 16.08.2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

संबंधित नियन्त्रण अधिकारी श्री भंवरसिंह के पक्ष में उक्त आदेश के क्रम में जारी वेतन निर्धारण आदेश निरस्त करते हुए संशोधित वेतन निर्धारण का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में करें।


(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2/भंवरसिंह/2020

दिनांक: 11.09.2020

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली/उदयपुर।
2. रजिस्टर्ड:—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही को श्री भंवर सिंह अति. जिशिअ की मूल सेवा पुस्तिका सलग्न कर भिजवाई जा रही है।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर/सिरौही।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, लसाड़िया (उदयपुर)।
6. श्री भंवर सिंह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, लसाड़िया (उदयपुर)।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
8. निजी/रक्षित पत्रावली


✓संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर